उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या–13/2020

राज्य

बनाम

वाहन ट्रैक्टर संख्या– JH08E-4454 के स्वीम एवं अन्य (तीन वाहन के स्वामी)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

–:: आदेश ::–

05/02/2021

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्र ज्ञापांक–2807/अप०शा०, दिनांक–02.11.2020 एवं पत्र ज्ञापांक–2821/अप०शा०, दिनांक–03.11.2020 द्वारा रामगढ़ थाना काण्ड संख्या–302/2020 दिनांक–09.09.2020 धारा–379/411/34 भा0द0वि0 एवं झारखण्ड मिनिरल प्रिभेन्सन ऑफ इलिगल माईनिंग ट्रान्सपोटेशन एण्ड स्टोरेज रूल 2017 के नियम 11 एवं 13 झारखण्ड खनिज समनुदान नियमावली–2004 की धारा–54 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमण) अधिनियम 1957 की धारा–21 के अन्तर्गत जप्त वाहन (1) महेन्द्र ट्रैक्टर– JH-089E-4454 एवं उस पर लदा 100 Cft. बालू (2) महेन्द्र ट्रैक्टर– JH-02Z- 5916 एवं उस पर लदा 100 Cft. स्टोन चिप्स (3) बिना नम्बर का महेन्द्र ट्रैक्टर इंजन नं0–RENW04151एवं उस पर लदा 100 Cft. स्टोन चिप्स तथा (4) बिना नम्बर के पावर ट्रैक्टर–434 इंजन नं0–E3420127 एवं उस पर लदा 100 Cft. स्टोन चिप्स को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है।

प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि, Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 के तहत् प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि धारा–21 (4-A) में निम्न प्रावधान है "Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the Court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such Court."

उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के इस अवस्था में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 (4-A) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश/मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को वापस करें। अभिलेख संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

05/02/21

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

05/02/21

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

110/विवि
05/02/2021